11/6/19

पत्रावली आज तलब करने पर आज पेश हुई। वकील वादी उप.। वादपत्र जरिये राजीनामा निर्देश खारिज हो चुका है। अब प्रार्थना पत्र कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर, [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:29:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner